न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

करण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
5/63/2025	2025/200	03.04.2025	21.05.2025

1–सरजीत पुत्र सूरजमल जाति मेव निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1–सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2–ग्राम पंचायत मांचा जरिये संरपच/सचिव तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री सतीश कुमार शर्मा –वकील प्रार्थी

02. श्री राजेश कुमार शर्मा –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली सरजीत बनाम सरकार को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया है, कि तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन उनवानी प्रकरण वाके ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास की आराजी खसरा न0 284 रकबा 0.05 है0 किस्म गैरमुमकिन चाह है, प्रार्थी/वादी के बुजुगो की चाह है, जिसका पूर्व से ही उपयोग–उपभोग करता आ रहा है, और प्रार्थी के कब्जे में है। प्रार्थी की आरजी में ही स्थित है। वर्ममान राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी गैरमुमकिन चाह दर्ज रिकार्ड है। आराजी चाह की है, जिसमें ग्राम पंचायत का कोई संबंध व सरोकार नही है, परन्तु इसके बावजूद भी रजनैतिक दबाव व साठ–गाठ के कारण पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा मौजुदा ग्राम पंचायत मांचा के हाल संरपच से साज–बाज होकर तथ्यो/कानून के विपरीत जाकर ग्राम पंचायत मांचा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 स्वीकार कर प्रतिवादी की जद में नाम जोडने के आदेश दिनाक 16.12.2024 को पारित किया गया है। अर्थात ग्राम पंचायत को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अब मौजूदा ग्राम पंचायत मांचा के पक्षकार मुकदमा बन जाने के कारण प्रार्थी वादी को मौजूदा पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है, ग्राम पंचायत मांचा के मौजूदा संरपच ने प्रार्थी वादी को ऐलानिया धमकी दी है, कि मोजूदा वाद को पीठासीन अधिकारी से साठ–गाठ कर खारिज कराकर ही दम लेंगा ग्राम पंचायत मांचा के मौजूदा सरपंच ने ऐलानिया धमकी दी है कि आराजी चाह से बेंदखल करके ही दम लूगा इस लिए वाद में आगामी कोई कार्यवाही व आदेश न करने के लिऐ पाबन्द किया जावे। प्रार्थी/वादी को पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से निष्पक्ष व सही इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नही है। अत उनवानी प्रकरण को दीगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद अप्रार्थी संख्या 2 का हित निहित है, इस हेतु विचाराधीन राजस्व वाद में पक्षकार बनाये जाने का पेश किया गया। जिस पर विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशन्नगढबास के पिठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को आवश्यश्क पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिनाक 16.12.2024 को पारित किये गये है, यहा यह भी उल्लेखनिय है, कि इस बात की जानकारी वादी/प्रार्थी को थी, किन्तु जानबुझ कर मिन अप्रार्थी को मूल वाद में पक्षकार नही बनाया गया। प्रकरण में वर्णित आराजी वादी/प्रार्थी की आराजी से लगती हुई आराजी है, उक्त आराजी से वादी/प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। आराजी गैरमुमकिन चाह है, जिस पर अप्रार्थी का हितनिहित होने के कारण ही तहत अदालत द्वारा मिन अप्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का मंजूर कर वाद में अप्रार्थी को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आक्षेप लगाकर यह झूठा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित तथ्यो पर तहत अदालत से टिप्पणी प्राप्त की गयी। तहत अदालत ने जर्ये पत्राक 911 दिनाक 16.04.2025 के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है, कि राजस्व वाद उनवान सरजीत बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है, प्रकरण में अन्तर्गत धारा 212 के तहत स्थगन आदेश जारी किया गया है। यदि उनवानी प्रकरण को दीगर राजस्व न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाता है, तो न्यायालय को कोई ऐजराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/वकील अप्राथी संख्या 2 की बहस से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष राजस्व वाद उनवान सरजीत बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है, अप्रार्थी को वाद में पक्षकार नही बनाया गया, अप्रार्थी का हित निहित होने के कारण ही तहत अदालत द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का मंजूर कर वाद में अप्रार्थी को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, यदि वादी को उक्त पारित निर्णय से कोई ऐतराज है, तो सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर चाराजोही करनी चाहिऐ थी, विचाराधीन राजस्व प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)